उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023

लखनऊ : दिनाँक : 19 सितम्बर, 2023

<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी किये गये हैं ।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप के 2(9) में निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने की व्यवस्था दी गयी है ।

3- चालू वित्तीय वर्ष के पाँच माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है ।

4- अतः सम्यक् विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 के प्रस्तर 2(9)(क) तथा 2(9)(ख) को निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

प्रस्तर-2	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(9)	(9) निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्नवत् दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जायेंगी - (क) यदि नये निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ तक है, तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की जायेगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इस हेतु रुपये 2.00 करोड़ से अधिक लागत वाले नये निर्माण कार्य को एक से अधिक निर्माण कार्यों में विभक्त कर रुपये 2.00 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत लाने का प्रयास न किया जाय ।	(9) निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्नवत् दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जायेंगी - (क) यदि नये निर्माण कार्य की लागत रुपये 5.00 करोड़ तक है, तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की जायेगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इस हेतु रुपये 5.00 करोड़ से अधिक लागत वाले नये निर्माण कार्य को एक से अधिक निर्माण कार्यों में विभक्त कर रुपये 5.00 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत लाने का प्रयास न किया जाय ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(ख) यदि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रुपये 2.00 करोड़ से अधिक है, तो वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्न शर्तों के अधीन जारी की जायेंगी - (i) नये निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो । (ii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय । (iii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगी । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त,	(ख) यदि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक है, तो वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्न शर्तों के अधीन जारी की जायेंगी - (i) नये निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किश्त की धनराशि वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो । (ii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 25.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो समान किश्तों में स्वीकृत की जाये । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय । (iii) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 25.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय तथा तृतीय किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 35 प्रतिशत, 35 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत की होगी । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय । बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये ।	पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले तीन-तीन माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय । बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये । (iv) यदि किसी विभाग द्वारा किसी योजना हेतु पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार प्रथम / द्वितीय / तृतीय किश्ते जारी की जा चुकी हैं, तो पूर्व में जारी किश्तों को समायोजित करते हुये इस संशोधित व्यवस्था के अनुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी ।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे । तद्नुसार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनाँक 17 मार्च, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

<u>समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।</u>

<u>संख्या :</u> 10/2023/<u>बी-1-602(1)/दस-2023-231/2023, तददिनाँक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

10 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

13 विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।